

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 390 /2022

उनवान

- 1- मु0 केशर पत्नी नाथू भील निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा
- 2-8 गोपाल, पिकी, बद्री, महावीर, राजू, मु0 लादी, मु0 समदा पिता नाथू भील निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- भुरा पुत्र श्रीकिशन भील निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा
- 2- पन्ना पुत्र माधु भील निवासी शिवपुरा तहसील शाहपुरा
- 3- मु0 रतन देवी पत्नी सत्यपाल मीणा निवासी शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री अक्षयराज रेबारी  
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 14.11.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं - ग्राम मथुरानाथुपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 120 रकबा 0.12 है0, 119 रकबा 1.15 है0 कुल किता 2 रकबा 1.27 हैक्टियर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगद्दी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 3 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम मथुरानाथुपुरा पटवार हल्का प्रतापपुरा संवत् 2075 से 2078 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगद्दी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मथुरानाथुपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 2 रकबा 1.27 हैक्टियर की पुख्ता पत्थरगद्दी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगद्दी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगद्दी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रूपये कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगद्दी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलक्टर  
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा